

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

// आदेश //

क्रमांक फा.नं. 34/स्था./राविसेप्रा/3661/2024 जबलपुर, दिनांक 24/09/2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रोजगार और निर्माण, समाचार पत्र में दिनांक 5.2.2024 से 11.2.2024 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ली गई साक्षात्कार परीक्षा में भृत्य के पद पर चयनित (सारिणी अनुसार) अभ्यर्थियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान 15500-49000/- एव समय-समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाता है।

परीक्षा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13 /2019 /3/ एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अधीन भृत्य वेतनमान 15500-49000 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टापेंड के रूप में देय होगा।

सारिणी

क्र	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का नाम	पता
1	2	3	4
1	11306	श्री ब्रजेश मेहरा पिता श्री सुम्मेर सिंह मेहरा,	निवासी सांकल रोड मुशरान वार्ड कंदेली नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)
2	8446	श्री सलमान खान पिता श्री हामिद खान	निवासी खान मोहल्ला रानीगंज थाना पन्ना जिला पन्ना (मध्यप्रदेश)
3	12442	श्री खिलेन्द्र तिवारी, पिता श्री तुलाराम तिवारी, (संविदा कर्मचारी, म. प्र.रा.वि.से.प्राधि.)	निवासी जवाहर नगर 346 एम.आई. जी. देवास जिला-देवास (मध्यप्रदेश)
4	13933	श्री गुरुदीप कुमार मिश्रा पिता श्री अनुदीप कुमार मिश्रा,	निवासी कठार स्टेशन वार्ड क्र. 20 उचेहरा थाना उचेहरा, जिला सतना (मध्यप्रदेश)
5	8168	सुश्री शालिनी तोमर पिता श्री संतोष तोमर,	निवासी ग्राम पथरहा मिसिरगवा पोस्ट ढेरा तहसील मउगंज जिला रीवा वर्तमान पता- रामपुर छपर जबलपुर पोस्ट विद्युत नगर थाना गोरखपुर जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
6	4552	सुश्री अदिती पटेल पिता श्री अनिल पटेल	निवासी मकान नं. 310 कंचनपुर आधारताल संजय नगर जबलपुर जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
7	14151	श्री गुरुदेव जाटव पिता श्री संतोष जाटव	निवासी ग्राम पोस्ट छीमक थाना चीनौर तहसील डबरा जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
8	12436	श्री राकेश वर्मा पिता श्री, सुभाष वर्मा (संविदा कर्मचारी, म.प्र.रा.वि.से.प्राधि.)	निवासी ग्राम छंगांव देवी पोस्ट सुरगांव जोशी जिला खण्डवा (मध्यप्रदेश)
9	4761	श्री अरविन्द कनौजिया पिता श्री लालमन कनौजिया, (संविदा कर्मचारी, म.प्र.रा.वि.से.प्राधि.)	निवासी 2024 पुष्पक नगर धनी की कुटिया के पास आधारताल जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)

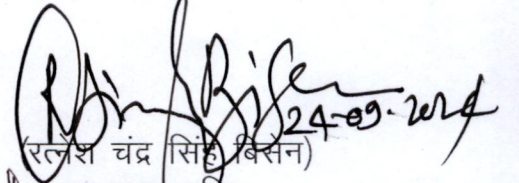
10	13741	सुश्री करिश्मा पटेल पिता श्री जीवेन्द्र बहादुर पटेल ,	निवासी म.नं. 1014 से 1102 गणेश चौक बिहारी नगर कांचघर जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
11	8134	सुश्री गीता कुशवाहा पिता श्री दुर्गालाल कुशवाहा,	निवासी म.नं. 2061/3 गोहलपुर बस्ती नं.2 जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
12	10247	श्री प्रशांत कुमार पिता श्री राजेन्द्र,	निवासी 334 ग्राम व पोस्ट दशरमन तहसील ढीमरखेडा जिला कटनी (मध्यप्रदेश)
13	13655	श्री दीपक प्रकाश सक्सेना पिता श्री प्रकाश सक्सेना, (संविदा कर्मचारी,म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	निवासी 245/1 गांधी नगर वार्ड क्र. 12 रायसेन जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)

अभ्यर्थीगण को पदभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05/10/2024 दी जा रही है । वे उक्त तिथि या इसके पूर्व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में पदभार ग्रहण करेंगे।

शर्त:-

- 1- यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- 2- नियुक्त कर्मचारी राज्य/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के प्रति पूर्णरूप से सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण रहेगा।
- 3- यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतियों को साथ में लेकर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यतायें धारण नहीं करता है, तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
- 4- यह कि उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना 2005 लागू होगी।
- 5- यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 6- अन्य विभाग में शासकीय पदों से सम्बन्धित परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन देने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा। चयनित अभ्यर्थी बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 7- यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 8- यह कि उनकी सेवायें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी और वे यदि सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- 9- यह कि, आरक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी जिन्हें उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी या कूट रचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

- 10— यह कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 05/10/2024 तक अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक आवश्यक रूप से पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 11— अभ्यर्थी को लिखित रूप में अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों की लिखित स्वीकृति जो दो साक्षियों के द्वारा अनुमाणित हो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
- 13— इन नियुक्तियों के लिये म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।
- 14— नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश राज्य शासन एवं राज्य प्राधिकरण के नियम एवं समय-समय पर प्रसारित निर्देश/आदेश लागू होंगे।


रत्न चंद्र सिंह (बिसेन)
सदस्य-सचिव

पू.क. फा.नं. 34/स्था0/राविसेप्रा0 366/2024 जबलपुर, दिनांक 24/09/2024
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उपस्थिति/वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री ब्रजेश मेहरा पिता श्री सुम्मेर सिंह मेहरा, निवासी सांकल रोड मुशरान वार्ड कंदेली नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश)
7. श्री सलमान खान पिता श्री हामिद खान, खान मोहल्ला रानीगंज थाना पन्ना जिला पन्ना (मध्यप्रदेश)
8. श्री खिलेन्द्र तिवारी, पिता श्री तुलाराम तिवारी, (संविदा कर्मचारी, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) निवासी जवाहर नगर 346 एम.आई.जी. देवास जिला-देवास (मध्यप्रदेश)
9. श्री गुरुदीप कुमार मिश्रा पिता श्री अनुदीप कुमार मिश्रा, निवासी कठार स्टेशन वार्ड क. 20 उचेहरा थाना उचेहरा, जिला सतना (मध्यप्रदेश)
10. सुश्री शालिनी तोमर पिता श्री संतोष तोमर, निवासी ग्राम पथरहा मिसिरगवा पोस्ट ढेरा तहसील मउगंज जिला रीवा वर्तमान पता- रामपुर छापर जबलपुर पोस्ट विद्युत नगर थाना गोरखपुर जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
11. सुश्री अदिती पटेल पिता श्री अनिल पटेल, निवासी मकान नं. 310 कंचनपुर आधारताल संजय नगर जबलपुर जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
12. श्री गुरुदेव जाटव पिता श्री संतोष जाटव, निवासी ग्राम पोस्ट छीमक थाना चीनौर तहसील डबरा जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश)
13. श्री राकेश वर्मा पिता श्री, सुभाष वर्मा (संविदा कर्मचारी, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण), निवासी ग्राम छंगांव देवी पोस्ट सुरगांव जोशी जिला खण्डवा (मध्यप्रदेश)
14. श्री अरविन्द कनौजिया पिता श्री लालमन कनौजिया, (संविदा कर्मचारी, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण), निवासी 2024 पुष्पक नगर धनी की कुटिया के पास आधारताल जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
15. सुश्री करिश्मा पटेल पिता श्री जीवेन्द्र बहादुर पटेल, निवासी म.नं. 1014 से 1102 गणेश चौक बिहारी नगर कांचघर जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
16. सुश्री गीता कुशवाहा पिता श्री दुर्गालाल कुशवाहा, निवासी म.नं. 2061/3 गोहलपुर बस्ती नं.2 जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)
17. श्री प्रशांत कुमार पिता श्री राजेन्द्र, निवासी 334 ग्राम व पोस्ट दशरमन तहसील ढीमरखेडा जिला कटनी (मध्यप्रदेश)

18. श्री दीपक प्रकाश सक्सेना पिता श्री प्रकाश सक्सेना, (संविदा कर्मचारी, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) निवासी 245/1 गांधी नगर वार्ड क. 12 रायसेन जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)
19. आई.टी.असिस्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
20. कार्यालय प्रति।


(डॉ. सुधांशु सक्सेना)
अतिरिक्त सचिव